Regarding loss of crop due to hailstorm in Rajasthan

श्री राहुल कस्वां **(**चुरू**) :** सभापति जी, मेरा कहना है कि 28 फरवरी, 2025 को राजस्थान के नार्थ-वेस्ट पार्ट में बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई । किसानों की फसल बिलकुल तबाह हो गई । ऐसी ओलावृष्टि सालों-साल से देखने को नहीं मिली । मेरे क्षेत्र राजगढ़ तहसील में तारानगर, भानीपुरा, नौहर में बहुत ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्पेशल गिरदावरी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन स्पेशल गिरदावरी के केस में प्राब्लम इस बात को लेकर है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइन के अंदर दो हेक्टेयर की कैपिंग लगा रखी है कि दो हेक्टेयर से ज्यादा नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे । मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दो हेक्टेयर की कैपिंग को हटाया जाए । राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है । हमारी पर-केपिटा होल्डिंग 6-7 हेक्टेयर से ज्यादा की आती है । मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि एसडीआरएफ की गाइडलाइन्स में दो हेक्टेयर की कैपिंग को हटाकर किसानों को पूरे नुकसान का मुआवजा दिया जाए ।

महोदय, इसके अलावा हम मिनिमम जो नुकसान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में देते हैं, वह 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर देते हैं । सर, एक-एक किसान की फसल एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर होती है । हमारे राजस्थान के इलाके में किसान मौसम आधारित वर्षा पर ही खेती करते हैं । एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में दो चेंजेज किए जाएं, पहला कैपिंग को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बढ़ाया जाए और दूसरा प्रति हेक्टेयर 17 हजार रुपये का जो नुकसान दिया जा रहा है, उसे बढ़ाकर किसान के एक्चुअल नुकसान का मुआवजा दिया जाए ।

महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन्स हैं कि किसान की फसल कटी हुई है या खड़ी भी है, तब भी नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा दिया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से किसानों को मुआवजा मिलेगा । लेकिन वर्ष 2023 के अंदर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन में चेंज कर दिया गया, अब खड़ी फसल को इंडिविजुअल लॉस में काउंट नहीं करते हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पीएमएफबीवाई की गाइडलाइन्स को दोबारा से रिवाइज किया जाए और यदि किसान की फसल खड़ी भी है और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ भी है तो उसका मुआवजा भी दिया जाए ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके ।